छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा एकादश सत्र अंक-10

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017

(फाल्गुन 19, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03 से 06 एवं 08 से 16 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

(तारांकित प्रश्न संख्या 02 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री देवजी भाई पटेल माननीय अध्यक्ष एवं माननीय उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में सभापति तालिका के सदस्य होने के नाते आसंदी पर विराजमान)

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री की अनुपस्थिति में श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी की अनुमति से अधिकृत होकर जवाब दिया।

तारांकित प्रश्न संख्या 07 की प्रश्नकर्ता सदस्य डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी अनुपस्थित रहीं।

तारांकित प्रश्न संख्या 08 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री संतराम नेताम के स्थान पर श्री मोहन मरकाम, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 26 तारांकित एवं 56 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिए सभा के लॉबी स्थित कक्ष में ग्लूकोमा एवं डायबिटिक रेटिनोपैथी आई चेक-अप एम.जी.एम. आई इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित है। कृपया माननीय सदस्य सायं 5.00 तक इस विशेष आई चेक-अप का लाभ अवश्य लेवें।

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री बृजमोहन अग्रवाल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017) **पटल पर रखा।**

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(1) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) की धारा 13-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-76/2014/32, दिनांक 7 फरवरी, 2017, तथा

(2) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-2/2011/32, दिनांक 25 फरवरी, 2017 **पटल पर रखे।**

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने अचानकमार टाईगर रिजर्व क्षेत्र में इमारती पेड़ो की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री केशव चंद्रा, दिलीप लहरिया, सदस्य ने बिलासपुर जिले के ग्राम देवगांव में एक युवती की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सर्वश्री सियाराम कौशिक, राजेन्द्र कुमार राय, अमित अजीत जोगी, सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

6. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन श्री सियाराम कौशिक, श्री राजेन्द्र कुमार राय, श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं।

7. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण 02 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल, बसपा एवं निर्दलीय सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

8. समितियों का निर्वाचन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2) तथा नियम 223-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 की अवधि के लिए नौ-नौ सदस्य निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री की अनुपस्थिति में श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2017-2018 की अवधि के लिए 09 सदस्य जिनमें से क्रमश: तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2017 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा मंगलवार दिनांक 21 मार्च, 2017 को अपराह्न 1.30 बजे से प्रमुख सचिव, विधान सभा के कक्ष में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरूवार, दिनांक 23 मार्च, 2017 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2016 को प्रात: 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

9. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या 28 एवं वन से संबंधित मांग संख्या 10 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-29 पर श्री टी.एस.सिंहदेव एवं मांग संख्या-10 सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, अमरजीत भगत, कवासी लखमा, मोहन मरकाम तथा बघेल लखेश्वर, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री रामदयाल उईके, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री रामदयाल उईके (जारी)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री राजमहंत सांवलराम डाहरे, लालजीत सिंह राठिया, श्याम बिहारी जायसवाल, दलेश्वर साहू, श्रीमती सरोजनी बंजारे, श्री कवासी लखमा,

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने दिनांक 9/3/2017 श्री भोलाराम साहू, सदस्य के प्रश्न पर चर्चा के दौरान चिटफंड कंपनी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट और मुबंई सेशन कोर्ट के आदेश की कापी देने की अनुमति मांगी।

डॉ. विमल चोपड़ा, सर्वश्री नवीन मारकण्डेय, मोहन मरकाम,

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि आपकी बात रिकार्ड में आ गई है। आदेश की प्रति सीधे मंत्री जी को दे सकते हैं।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा आदेश की प्रति श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री को उपलब्ध कराई गई।

डॉ. खिलावन साहू, डॉ. प्रीतम राम, सर्वश्री भोजराज नाग, अमरजीत भगत, श्यामलाल कंवर, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में दर्ज अशासकीय कार्य अगले शुक्रवार को लिए जायेंगे।)

10. होली की शुभकामनाएं

माननीय सभापति ने सदन की ओर से माननीय सदस्यों एवं प्रदेश वासियों को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी ।

माननीय मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ने भी समस्त माननीय सदस्यों एवं प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं दी।

सायं 5.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 16 मार्च, 2017 (फाल्गुन-25, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा